

राजस्थान सरकार

वन विभाग

18-2-2000

क्रमांक:- प0.11/10/वन/98

जयपुर, दिनांक

:: अधिसूचना ::

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 अधिनियम संख्या-53 सन् 1972 की धारा-4 की उप धारा 11 के अन्तर्गत गण्ड गण्ड के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टर को अपने अपने अधिकारिक क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची-11 के पार्ट-1 में उल्लिखित लाल गण्ड के अन्तर्गत Rhesus-macaque एवं हनुमान लंगूर (*Presbytis entellus*) सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 11 के अन्तर्गत गण्ड गण्ड के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

एस० अहमद

शासन सचिव, वन

प्रतिलिपि निम्न को आवरक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- पिछी सचिव, वन मन्त्री महोदय, ।
- 2- निजी सचिव, शासन सचिव, वन ।
- 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज० जयपुर।
- 4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोगना एत वन बन्दोबस्त राज० जयपुर।
- 5- अति० प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवम् मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राज० जयपुर।
- 6- समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ।
- 7- समस्त मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक -----
- 8- समस्त जिला पुलिस अधीक्षक ।
- 9- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय को दो प्रतियों में बसाधारण व राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु ।
- 10- रक्षित पत्रावली ।

एस० अहमद
उप-शासन सचिव, वन